बिहार सरकार
वित्त (अंकेक्षण) विभाग
बिहार, पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0–09/14–15

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित, लेखा का नाम– रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय कटिहार के राजस्व प्राप्ति का अंकेक्षण

(ख) अंकेक्षण का लेखा अवधि– वित्तय वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक।

(ग) प्रशासी विभाग का नाम– गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदाधिकारी का नाम/पदनाम एवं कार्यालय–

पुलिस उप महानिरिक्षक
पटना प्रक्षेत्र, पटना
(अवधि, नाम, अप्राप्त)

(ङ) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों का नाम, एवं कार्यकालः–

क्र0	लेखा प्रभारी पदाधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यकाल
1	श्री दिनेश चन्द्र शर्मा	रेल पुलिस अधीक्षक	12.07.94 से 21.03.97 तक
2	श्री ए0 नटराजन	रेल पुलिस अधीक्षक	22.03.97 से 26.07.97 तक
3	श्री जितेन्द्र कुमार	रेल पुलिस अधीक्षक	29.07.97 से 09.03.98 तक
4	श्री जय शंकर दास	रेल पुलिस अधीक्षक	10.03.98 से 31.08.98 तक
5	श्री उमेश कुमार सिंह (अतिरिक्त प्रभार)	रेल पुलिस अधीक्षक	01.09.98 से 23.10.98 तक
6	श्री अजय कुमार सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	24.10.98 से 21.02.99 तक
7	श्री राम लखन प्रसाद	रेल पुलिस अधीक्षक	21.02.99 से 24.04.02 तक
8	श्री शशिनाथ झा	रेल पुलिस अधीक्षक	24.04.20 से 05.06.02 तक
9	श्री ए0 नटराजन	रेल पुलिस अधीक्षक	06.06.20 से 12.11.02 तक
10	श्री संजय सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	30.11.20 से 30.06.01 तक

11	श्री अभिताभ कुमार	रेल पुलिस अधीक्षक	08.07.01 से 01.09.01 तक
12	श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय	रेल पुलिस अधीक्षक	02.09.01 से 08.06.02 तक
13	श्री विनय कुमार	रेल पुलिस अधीक्षक	08.04.02 से 08.05.03 तक
14	श्रीमति आर मालर विली	रेल पुलिस अधीक्षक	13.05.03 से 22.12.03 तक
15	श्री सुधांशु कुमार	रेल पुलिस अधीक्षक	24.12.03 से 03.07.04 तक
16	श्री अरबिन्द कुमार	रेल पुलिस अधीक्षक	06.07.04 से 10.12.04 तक
17	श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	10.12.04 से 19.05.05 तक
18	श्री सत्येन्द्र प्रसाद सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	19.05.05 से 02.08.05 तक
19	श्री जगलाल चौधरी	रेल पुलिस अधीक्षक	02.09.05 से 20.09.05 तक
20	श्री डी0 एल0 गुप्ता	रेल पुलिस अधीक्षक	20.09.05 से 04.11.05 तक
21	श्री के0 एम0 लाल	रेल पुलिस अधीक्षक	06.11.05 से 21.12.05 तक
22	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	29.12.05 से 18.02.06 तक
23	श्री एच0 एन0 देवा	रेल पुलिस अधीक्षक	18.02.06 से 01.03.06 तक
24	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	01.03.06 से 11.04.07 तक
25	श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	18.04.07 से 25.04.07 तक
26	श्री डा0 बिनोद कुमार चौधरी	रेल पुलिस अधीक्षक	25.04.07 से 31.03.08 तक
27	श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह	रेल पुलिस अधीक्षक	04.04.08 से 28.09.08 तक
28	श्री डा0 विनोद कुमार चौधरी	रेल पुलिस अधीक्षक	29.09.08. से 20.04.10 तक
29	श्रीमति एस0 प्रेमलता	रेल पुलिस अधीक्षक	19.05.10 से 13.02.11 तक
30	श्री डा0 सुकन पासवान	रेल पुलिस अधीक्षक	14.02.11 से 29.03.13 तक
31	श्री जीतेन्द्र मिश्र	रेल पुलिस अधीक्षक	30.03.13 से अधयतन तक

रेल पुलिस उपाधीक्षक सह निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी :–

1	श्री लक्ष्मण प्रसाद सिंह	रेल उपाधीक्षक	01.04.97 से 31.03.02 तक
2	श्री एस0 एन0 अख्तर	रेल उपाधीक्षक	24.04.02 से 28.01.01 तक
3	श्री एम0 कुमार	रेल उपाधीक्षक	29.01.01 से 17.05.03 तक
4	श्री एस0 एस0 ठाकुर	रेल उपाधीक्षक	17.09.03 से 09.03.04 तक

5	श्री बिरेन्द्र प्रसाद रजक	रेल उपाधीक्षक	21.02.05 से 10.09.06 तक
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद	रेल उपाधीक्षक	10.09.06 से 02.11.06 तक
7	श्री डा0 सुकन पासवान	रेल उपाधीक्षक	02.11.06 से 18.04.07 तक
8	श्री तरणी प्रसाद यादव	रेल उपाधीक्षक	18.04.07 से 15.08.10 तक
9	श्री सत्यदेव पाण्डेय	रेल उपाधीक्षक	16.08.10 से 29.02.12 तक
10	श्री कर्म लाल	रेल उपाधीक्षक	20.07.12 से 31.03.13 तक

प्रधान लिपिक / प्रभारी प्रधान लिपिक का कार्यकाल :–

1	श्री बृज मोहन प्रसाद	प्रधान लिपिक	01.01.94 से 31.04.97 तक
2	श्री शैयद अफताब अहमद	प्रधान लिपिक	01.05.97 से 31.12.05 तक
3	श्री रीता मराण्डी	प्रधान लिपिक	01.01.06 से 31.07.09 तक
4	श्री शैभद अफताब अहमद	प्रधान लिपिक	01.08.09 से 31.07.13 तक

लेखापाल का कार्यकाल :–

1	श्री बृज मोहन प्रसाद	लेखापाल	01.01.94 से 31.04.97 तक
2	श्री शैयद अफताब अहमद	लेखापाल	01.05.97 से 31.03.13 तक

(च) <u>अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले पदाधिकरी / कर्मचारी का नाम एवं पदनाम</u> :–

(i) श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, लेखापाल

(ii) श्री चन्दन कुमार मण्डल (मुंशी), सिपाही संख्या–188

रेल रासित कार्यालय, कटिहार।

(iii) श्री मो0 अबसारूल हसन, स0 आ0 नि0

(परिवहन शाखा) प्रभारी, रेल रक्षित कार्यालय, कटिहार

(iv) श्री सुनिल कुमार सिंह, सिपाही संख्या–584

(छ) <u>अंकेक्षकों का नाम एवं पदनाम</u> :–

(i) श्री अरविन्द कुमार सिंह, वरीय अंकेक्षक–2

(ii) अमर नाथ भगत, वरीय अंकेक्षक–2

(iii) श्री भोला नाथ मण्डल, वरीय अंकेक्षक–2

(iv) श्री अरूण कुमार, वरीय अंकेक्षक–2

(ज) अंकेक्षण प्रारम्भण तिथि :– 20.03.14 एवं पुनः 09.12.14

(झ) अंकेक्षण समाप्ति की तिथि :– 28.03.14 एवं पुनः 29.12.14

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस :– 16 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' पर अंकित है।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र :–

(i) **अंकेक्षण का प्रकार**– सामान्य/केवल (राजस्व प्राप्तियाँ का अंकेक्षण)

(ii) **वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि** :–

विभागीय ज्ञपांक 3286 वित्त (अंकेक्षण) विभाग, बिहार, पटना दिनांक 16.09.1960 एवं ज्ञपांक 06 दिनांक 22.01.2014 तथा 63 दिनांक 03.07.2014 में निहित निदेशानुसार प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर सिर्फ राजस्व प्राप्तियाँ से सम्बंधित आय–व्यय की जाँच फार्म किया गया।

(iii) कार्यालय का कार्य क्षेत्र :–

रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय का मौलिक कार्य रेल परिसर में यात्रियों एवं रेल को सुरक्षा प्रदान करना, तथा अपराध का रोक–थाम एवं निरिक्षण करना, अपराधियों को पकड़ना यात्रियों के जन शिकायत की समस्या को सुलझाना तथा वेटिकट यात्रियों को पकड़ने में रेल प्रशासन को सहायता प्रदान करना है।

(iv) वित्तिय स्रोत :–

पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय) पटना के पत्रांक 4897 दिनांक 25. 10.2013 द्वारा अभियाचित एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग के ज्ञपांक 06 दिनांक 22.01.2014 एवं पत्रांक 63 दिनांक 03.07.2014 में निहित निदेशानुसार रेल पुलिस अधिक्षक कार्यालय कटिहार के राजस्व मदों में प्राप्त आय–व्यय जमा (कोषागार) का अंकेक्षण किया गया लेकिन वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक कोई भी राजस्व की प्राप्तियाँ नहीं पाई गई। कार्यालय द्वारा बताया गया कि राजस्व प्राप्ति का स्रोत सिर्फ अंगरक्षक के प्रतिनियुक्ति एवं

निलामी है। कह भी जिला पुलिस द्वारा माननीय सासंद/विधायक/एवं पदाधिकारियों के यहाँ प्रतिनियुक्त है। जिनसे कोई भी प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं होती।

(v) <u>कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति</u> :–

वर्ष 1997–98 से 2012–13 तक कोई भी राजस्व प्राप्ति से सम्बंधित रोकड़ पुस्त के आय पक्ष में प्रविषटि कार्य पदाधिकारी में प्रविष्टि आय एवं रसीद वही (RC) तथा रेभिटान्स पंजी में प्रविष्टी नहीं पाई गई। इसलिए कोषागार सत्यापन कार्य नहीं किया जा सका।

(vi) <u>महालेखाकार के पूर्व निरिक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति</u> :–

महालेखाकार के अंकेक्षण प्रतिवेदन बार–बार अनुरोध के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया, जिससे अनुपालन की स्थिति ज्ञात नहीं हो सकी।

(vii) <u>वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति</u>

कार्यालय द्वारा बताया गया कि यह वित्त (अंकेक्षण) विभाग का प्रथम अंकेक्षण है, इसलिए अनुपालन का प्रश्न नहीं बनता।

(3) <u>वित्तीय समीक्षा</u> :–

अंकेक्षित अवधि वित्तीय वर्ष 1997–98 से 2012–13 में कोई भी राजस्व प्राप्ति नहीं हुई है। र्सिफ अंगरक्षक से राजस्व प्राप्त होने को है वह भी माननीय र्वतमान सांसद/विधायक/पार्षद/न्यायधीश आदि के यहाँ प्रतिनियुक्त होने के कारण कोई भी प्रतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं होती। कुछ पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद के यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रतिनियुक्त अंगरक्षकों की स्थानान्नतरण के फलस्वरूप आरक्षी अधीक्षक रेल पुलिस से की गयी है। जिसकी प्रतिपूर्ति राशि का उल्लेख कंडिकाओं में है, जो पुलिस मुख्यालय के ज्ञपांक 4802/ एक्स0 एल0 दिनांक 06.07.2005 एवं पत्रांक 919 एल–2 दिनांक 16.03.2012 के आलोक में वसूली हेतु सुझाव दिया गया है। जिसकी गणना गृह (आरक्षी) विभाग द्वारा समय–समय पर र्निगत दर के आलोक में गणना की गई है। साथ ही राजस्व प्राप्ति उक्त वर्षो में नहीं होने के कारण आय–व्यय विवरणी प्रस्तुत नही की गई है। तथा रोकड़ पंजी के प्रारम्भण शेष एवं संवरण शेष की वर्षवार विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न हैं कार्यालय द्वारा प्रतिपूर्ति राशि वसूली में अग्रोतर कारवाई नहीं की जाती, जबकि प्रतिनियुक्त अंगरक्षक की प्रतिपूर्ति राशि अग्रिम भुगतान करने का

प्रवधान है। अतः उच्चाधिकारियों का ध्यान वसूली की ओर अपेक्षित है। रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में उपरोक्त राजस्व प्राप्ति हेतु अतिरिक्त यदि अन्य राजस्व प्राप्ति को स्रोत हो तो प्रशासी विभाग अपने स्तर से समीक्षा कर आवश्यक कारवाई करें।

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों का विवरण :–

अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत/कार्यरत/रिक्त पदों की विवरणी परिशिष्ट ''ग'' पर संलग्न है।

भाग–2

(5) माननीय पूव सांसद एवं पूव विधायक को प्रतिनियुक्त अंगरक्षक की प्रतिपूर्ति राशि रूपये 4,50,870=00 वसूली योग्य :–

रोकड़ पुस्त के आय–व्यय में राजस्व प्राप्तियों से सम्बंधित राशियों के जाँच में पाया गया कि वर्ष 2012–13 में माननीय पूव सांसद श्रीमति रंजीता रंजन को श्री योगेन्द्र कुमार यादव, सिपाही संख्या–118 एवं पूव विधायक श्री बालिराम सिंह यादव को श्री जय प्रकाश कुमार, सिपाही संख्या–239, जिला पुलिस अधीक्षक कटिहार एवं सुरझा समिति कटिहार के अनुशंसा के आधार पर क्रमशः 28.08.12 से 31.05.13 एवं 01. 10.12 से 31.05.13 तक अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त थे। (जो जिला पुलिस से रेल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थानानतरण के कारण) लेकिन माननीय पूव सांसद एवं पूव विधायक द्वारा कोई भी प्रतिपूर्ति राशि जमा नहीं किया पाया गया। विवरणी परिशिष्ट ''घ'' पर संलग्न है। इस सम्बंध में ए0 जी के द्वारा भी आपति उठाई गई थी, लेकिन अंकेक्षण समाप्ति तक कोई भी राशि जमा नहीं किया गया था।

निर्गत अनुपालन में बताया गया कि इस कार्यालय के ज्ञपांक 431 एवं 432 दिनांक 14.09.2013 के द्वारा माननीय पूव सांसद एवं पूव विधायक (विधान परिषद) को जमा करने का अनुरोध किया गया था लेकिन अभितक कोई भी राशि सम्बंधित व्यक्ति द्वारा जमा नहीं किया गया है। स्थिति यथावत।

अतः पुलिस महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना के ज्ञपांक 4802/एक्ल0 एल0 दिनांक 06.07.2005 एवं पुलिस महानिदेशक कार्यालय बिहार, पटना के ज्ञपांक 919/एल–2 दिनांक 13.03.2012 के द्वारा सिपाही स्तर के सुरक्षा कर्मी के लिए प्रतिदिन की राशि 873=00 एवं इसके अतिरिक्त अदेभता के आधार पर दैनिक

भत्ता / यात्रा भत्ता / म0 मा0 भत्ता वसुलनीय है। इस प्रकार दैनिक भत्ता 100=00 रूपये, यात्रा भत्ता 70=00 रूपये, म0 भा0 भ0 87=00 रूपये होता है। अतः एक आरक्षी का एक दिन की कुल राशि (973+100+70+87)= 1130=00 होता है।

अतः अंकेक्षण अवधि 31.03.2013 तक के गणना के अनुसार रूपये 4,50,870=00 होता है। शेष अवधि का अपने स्तर से गणना कर सम्बंधित एवं जबाब देय व्यक्ति से वसूली की कार्यवाई कर कोषागार में जमा की जाए एवं फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग पटना को भी अवगत कराई जाए। प्रतिपूर्ति की राशि की वसूली की ओर उच्चाधिकरियों का विशेष ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

(6) <u>प्रतिनियुक्त अंगरक्षक के प्रतिपूर्ति राशि रूपये 98,310=00 की वसूली नहीं, वसूली योग्य</u> :–

वर्ष 1997–98 से 2013–14 के राजस्व प्राप्तियाँ से सम्बंधित आय पक्ष के जाँच में कार्यालय द्वारा बताया गया कि राजस्व के रूप में सिर्फ अंगरक्षक के प्रतिपूर्ति से राजस्व प्राप्त होती है। लेकिन वर्ष 97–98 से 12–13 के अवधि में कोई भी राजस्व प्राप्ति नहीं हुई है। इसका सत्यापन रसीद वही R.C रोकड़ पुस्त एवं रेल रक्षित कार्यालय कटिहार के अभिलेखों के आधार पर किया गया।

रेल रक्षित कार्यालय कटिहार के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के जाँच में पाया गया कि माननीय श्री उपेन्द्र कुशवाहा राज्य सभा सदस्य (भू–पूव) के यहाँ दिनांक 29.04.2012 से श्री भृगं रंजन सिंह, आरक्षी संख्या–177 अंगरक्षक के रूप में प्रतिनियुक्त हैं (आदेश सं0 पु0 मु0 के पत्रांक–2939/ सु0 दिनांक 13.05.11) लेकिन दिनांक 04.01.2013 को माननीय द्वारा राज्य सभा सदस्य से त्यागपत्र दे देने के बावजुद अंगरक्षक की प्रतिनियुक्त अंकेक्षण समाप्ति तक जारी है। तथा इसकी प्रतिपूर्ति राशि जमा नहीं की जा रही है। नहीं इसके लिए कार्यालय द्वारा कोई पत्राचार ही किया गया पाया गया। जबकि पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन) बिहार, पटना के ज्ञपांक 4802/एक्स0 एल0 दिनांक 06.07.2005 एवं पुलिस मुख्यालय के ज्ञपांक 919/एल–2 दिनांक 16.03. 2012 के आलोक में आरक्षी के लिए प्रतिदिन की राशि 873=00 रूपये एवं उसके अतिरिक्त अदेयता के आधार पर दैनिक भत्ता 100=00 रूपये यात्रा भत्ता 70=00 रूपये, म0 भा0 भत्ता 87=00 रूपये कुल एक दिन का 1,130=00 होता है। जो अग्रिम भुगतान

करने के उपरान्त ही अंगरक्षक की प्रतिनियुक्ति करने का प्रावधान है। परन्तु कार्यालय द्वारा निगम के प्रतिकुल अंगरक्षक के प्रतिपूर्ति बिना जमा किये प्रतिनियुक्ति जारी है।

अतः माननीय भू–पूर्व राज्य सभा सदस्य से प्रतिनियुक्त अंगरक्षक श्री भृग रंजन सिंह, आरक्षी संख्या–177 के विरूद्ध प्रतिपूर्ति राशि अंकेक्षण अवधि 31.03.13 तक की गणना के अनुसार रूपये 97,180=00 होता है। जिसकी वसूली अपेक्षित है। शेष अवधि की गणना अपने स्तर से करके सम्बंधित एवं जबाव देय व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में जमा की जाए तथा फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार, पटना को भी अवगत कराई जाए।

विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र0	नाम एवं पदनाम जहाँ अंगरक्षक प्रतिनियुक्त है।	अंगरक्षक का नाम एवं संख्या	अवधि	दर अदेयता सहित	वसूली योग्य राशि
1	श्री उपेन्द्र कुशवाहा भू–पूर्व राज्य सभा सदस्य	श्री भृग रंजन सिंह आरक्षी सं0–177	04.01.13 से 31.03.13 तक=87 दिन	@1130/–	98,310=00

भाग–3

अंकेक्षण का सुझाव :–

(7) कार्यालय के लापरवाही से राजस्व की हानि :–

वर्ष 97–98 से 12–13 के राजस्व प्राप्तियाँ से सम्बंधि जाँच के दौरान पुलिस लाईन वाहन शाखा में पाया गया कि रेल आरक्षी अधीक्षक कार्यालय के स्थापना 1973 से अबतक कभी भी वाहनों को निलामी की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है। जिसके कारण पुराने वाहन, टायर टियूव एवं स्क्रैप पुलिस लाईन में पड़ी सड़ रही है। निममतः इसकी निलामी हो जानी चाहिए थी। जाँच में यह भी पाया गया कि रेल पुलिस अधिक्षक के पत्रांक 1906/रा0 का0 दिनांक 04.12.14 के द्वारा गाड़ियों का रद्धीकरण हेतु अनशंसा की गई लेकिन रद्धीकरण समिति के द्वारा वाहनों के पथकर अधतन जमा नहीं

करने के कारण रूपये 1,11,919=00 पथकर के रूप में सरकार का बकाया है जो ससमय जमा नहीं की गई थी। जो कार्यालय के लापरवाही का घोतक है।

अतः बेकार पड़ी वाहनों एवं टायर–टियूव इत्यादि की निलामी की प्रक्रिया नियमानुसार प्रारम्भ की जाए एवं सभी निलामी योग्य समानों की निलामी कर राजस्व की हानि से सरकारी राशि का बचाव की जाए। इस ओर उच्चचधिकारियों का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट किया जाता है।

(8) कार्यालय के निरिक्षण का अभाव :–

बिहार वित्तीय नियमावली भाग–1 के नियम 306 तथा बिहार पार्षदीय प्रक्रिया नियमावली के नियम 80ए के अनुसार पदाधिकारी को अपने अधीस्थ कार्यालय का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रशासी विभाग एवं महालेखाकार को प्रतिवर्ष प्रेषित करना अपेक्षित है कि लेखा एवं अन्य कार्य नियमानुकुल ढंग से हो रहा था अथवा नहीं। अंकेक्षण अवधि के अर्न्तगत एक बार भी ऐसा नहीं किया पाया गया था। अतः सक्षय पदाधिकारी से अपेक्षा की जाती है कि उपर्युक्त नियम का प्रारूप दृढता किया जाए ताकि सरकारी राशि खजाने में जमा की जा सके।

रेल आरक्षी अधीक्षक कार्यालय कटिहार में रोकड़ पुस्त के साथ–साथ एक सहायक रोकड़ पुस्त राजस्व प्राप्तियाँ से संबंधित अलग से संधाधण करने का सुझाव दिया जाता है। तथा अंगरक्षकों की प्रतिनियुक्ति अग्रिम प्रतिपूर्ति के आधार पर ही प्रतिनियुक्त किया जाए।

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का हस्ताक्षर

1. शिव नाथ कुमार प्रसाद– व0 अ0 (2)

उप लेखा नियंत्रक

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार, पटना।

परिशिष्ट ''क''

कंडिका ''1 ट'' से सम्बंधित

(1) प्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. रोकड़ पुस्त वित्तीय वर्ष 1997–98 से 12–13 तक
2. रसीद वही वर्ष 1997–98 से 12–13 तक
3. रेभिटान्स रजिस्टर वर्ष 1997–98 से 12–13 तक
4. चलान की कार्यालय प्रति वर्ष 1997–98 से 12–13 तक
5. अंगरक्षक से सम्बंधित संचिका, र्सिफ वर्ष 12–13 का
6. सुरक्षा समिति सम्बंधित संचिका (आंक्षिक)
7. पुराने वाहनों के निलामी सम्बंधित संचिका र्सिफ 12–13 का

(2) अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति पंजी 1997–98 से 12–13 तक
2. अंगरक्षक प्रतिनियुक्ति सम्बंधि संचिका 1997–98 से 11–12 तक
3. निलामी एवं कलेक्सन तथा बैलेंस रजिस्टर
5. महालेखाकार का जाँच प्रतिवेदन
6. आदेश गार्ड फाईल
7. सुरक्षा समिति की संचिका
8. वित्त (अंकेक्षण) विभाग का अंकेक्षण प्रतिवेदन।
9. कमान का अटकट्टी
10. विभिन्न मदों से प्राप्त राजस्व आय–व्यय विवरणी वर्षवार

परिशिष्ट ''ख''

कंडिका ''3'' से सम्बंधित

रोकड़ पुस्त के प्रारम्भण शेष एवं संवरण शेष की वर्षवार विवरणी :–

क्र0	वित्तीय वर्ष	रोकड़ पुस्त का प्रारम्भण शेष	रोकड़ पुस्त का संवरण शेष
1	1997–98	52,174=00	शून्य
2	1998–99	शून्य	शून्य
3	1999–2000	शून्य	50,08,649=20
4	2000–2001	50,08,649=20	1,324=00
5	2001–2002	1,324=20	765=20
6	2002–2003	765=20	2,630=20
7	2003–2004	2,630=20	4,617=20
8	2004–2005	4,617=20	605=00
9	2005–2006	605=20	895=20
10	2006–2007	895=20	7,820=20
11	2007–2008	7,820=20	00=20
12	2008–2009	00=20	1,43,674=20
13	2009–2010	1,43,674=20	60,000=00
14	2010–2011	60,000=00	10,77,706=00
15	2011–2012	10,77,706=00	2,00,000=00
16	2012–2013	2,00,000=00	60,000=00

परिशिष्ट "ग"

कंडिका "4" से सम्बंधित

स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण :–

क्र0	पद का नाम (काटि)	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत बलो की संख्या	रिक्त बलो की संख्या
1	पुलिस अधीक्षक	01	01	–
2	पुलिस उपाधीक्षक	03	02	01
3	परिचारी प्रवर	01	–	–
4	पुलिस निरीक्षक	05	05	–
5	परिचारी / प्रारज अवर निरिक्षक	02	–	–
6	पुलिस अवर निरीक्षक	118	47	71
7	सहायक पुलिस अवर निरीक्षक	107	96	11
8	हवलदार	119	109	10
9	सिपाही	670	599	71
10	लिपिक	08	02	06
11	दफतरी	01	01	–
12	प्रधान लिपिक	01	–	01
13	लेखापाल	02	01	01

परिशिष्ट "घ"

कंडिका "5" से सम्बंधित

पूव सांसद/पूव विधायक के यहाँ प्रतिनियुक्त अंगरक्षक के प्रतिपूर्ति राशि रूपये 4,50,870=00 वसूली योग्य का विवरण :–

क्र0	माननीय पूव सांसद/पूव विधायक का नाम	प्रतिनियुक्त आरक्षी का नाम एवं संख्या	अवधि	दर अतिरिक्त अदेयता के साथ	प्रतिपूर्ति राशि वसूली योग्य	अभ्युक्ति
1	श्रीमति रंजीता रंजन, पूर्व सांसद	श्री योगेन्द्र कुमार यादव, सिपाही सं0–118	28.08.11 से 31.03.12 तक=217 दिन	@1,130/–	2,45,210=00	
2	श्री बलिराम सिंह यादव, भू0 पूव विधायक	श्री जय प्रकाश कुमार, आरक्षी सं0–239	01.10.12 से 31.03.13 तक=182 दिन	@1,130/–	2,05,660=00	
				योग–	4,50,870=00	